न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–107/2017 दायर दिनांकः 05.07.2017

GCMS NO:- 2017/00138

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. चन्द्रा आ0 हरजी जाति बैरवा निवासी रामगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. सुखदेव आ0 लोडक्या जाति बैरवा निवासी रामगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. रामलाल आ0 श्री देवा गुर्जर निवासी रामगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।

—वादीगण

बनाम

1. मोरपाल आ0 श्री खाना जाति बैरवा निवासी ग्राम रामगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. छोटूलाल आ0 अम्बालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम रामगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. रामप्रसाद आ0 खाना जाति बैरवा निवासी ग्राम रामगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. शंकरया आ0 खाना जाति बैरवा निवासी ग्राम रामगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. मोहन आ0 गंगाराम जाति बैरवा निवासी ग्राम रामगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. भोजा आ0 देवा जाति गुर्जर निवासी ग्राम रामगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।
7. बरधी पत्नी देवा जाति गुर्जर निवासी ग्राम रामगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।
8. भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।
9. राजस्थान राज्य जर्ये जिलाधीश महोदय तहसील बून्दी।

——प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 22.10.2021

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम रामगंज पटवार मण्डल मरां तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 3614/3411, 3618/3411,3616/3411 क्रमशः प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी आधिपत्य की कृषि भूमि है । यह कि प्रार्थी की भूमि में जाने का रास्ता बांसी कालानला जाने वाले डामर रोड से फटकर प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के खातेदारी की भूमियों खसरा संख्या 3411 की मेड पर होकर वादीगण के खातेदारी की भूमियों में जाता है। जिसे नक्शा परिशिष्ट ब में लाल स्याही से बता रखा है। यह रास्ता 12 फिट चौडा है। प्रार्थी को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ 15 फिट चौडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थी नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। यह कि प्रत्यार्थीगण उक्त रास्ते को अवरूद्ध करने पर आमदा है जो वाद का कारण है। प्रार्थी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में परिशिष्ट ब ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

अपने जवाब में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 ने निवेदन किया कि वादीगण उनके खातेदारी की भूमि में खसरा संख्या 3411 व 3410 के पूर्वी दिशा में निकल रहे डामर रोड से होते हुए आगे नहर के सहारे सहारे निकल रहे 15 फिट चौडे रास्ते में होकर पूर्व से पश्चिम दिशा में जाते है उस पर से उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ सुरेश, प्रभू , बच्छराज आदि के खेतो की पूर्वी मेर पर होकर आगे पश्चिम से पूर्व दिशा में घासी तेली व वादी सुखदेव के खेत की मेर पर होकर वादीगण के खेतों पर जाते है। यह कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 14:55:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

...गण ने नक्शा परिशिष्ट ब में गलत रास्ता कायम किया है। यह कि वादीगण का वाद पत्र की चरण ...ख्या 2,3 में दर्ज किये गये स्थान पर पहले से रास्ता निकला हुआ है उसी पर होकर वर्षो से आ रहे है लेकिन वह रास्ता होन के बावजूद नया. रास्ता कायम करवाना चाहते है जिसका उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते में निम्नानुसार भूमियां आयेंगी–

खसरा संख्या	लम्बाई x चौडाई	वर्गफिट क्षेत्रफल
1. 3622/3411	264 x 6.6	1742
2. 3619/3411	277 x 6.6	1828
3. 3616/3411	356 x 6.6	2350
4. 3623/3411	238 x 6.6	1571
5. 3614/3411	132 x 6.6	871

उक्त रास्ते को नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज जवाब प्रतिवादीगण एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट मरां में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम रामगंज पटवार मण्डल मरां तहसील नैनवां में प्रार्थी की कृषि भूमियों पर पहुंचने के लिए निम्नानुसार खसरा नम्बर के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

खसरा संख्या	लम्बाई x चौडाई	वर्गफिट क्षेत्रफल
1. 3622/3411	264 x 6.6	1742
2. 3619/3411	277 x 6.6	1828
3. 3616/3411	356 x 6.6	2350
4. 3623/3411	238 x 6.6	1571
5. 3614/3411	132 x 6.6	871

जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 14:55:33 IST
Reason: SelfAttested